भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6409

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026

संगठित क्षेत्र के दायरे से बाहर एमएसएमई

6409. श्री अबू ताहेर खान :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संगठित क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं और उन्हें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में गैर-पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : निवेश और कारोबार के दोहरे मानदंडों पर आधारित एक संशोधित परिभाषा को वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया था। दिनांक 01.07.2020 को एमएसएमई के पंजीकरण की सुविधा के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) को शुरू किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 11.01.2023 को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक रूप देने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) को शुरू किया गया था। संशोधित परिभाषा को अपनाने से लेकर दिनांक 28.02.2026 तक, 7.83 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। दिनांक 11.01.2023 को यूएपी के प्रारंभ होने के बाद से,दिनांक 29.03.2026 तक, यूएपी पर पंजीकृत कुल आईएमई का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

कोई उद्यम जिसका पंजीकरण और औपचारिकीकरण हो जाता है, वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और पहलों का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाता है। उद्यम असिस्ट प्रमाण-पत्र (यूएसी) को, विशेष रूप से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) प्राप्त करने हेतु उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यूआरसी) के समकक्ष माना जाता है। ऐसे उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य स्कीमों के अलावा, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध कराके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आईएमई के लिए 20 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋणों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मुद्रा ऋण आदि शामिल हैं।

इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य एमएसएमई हितधारकों के समन्वय से भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि सभी हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार किया जा सके।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6409, जिसका उत्तर दिनांक 02.04.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	यूएपी पर पंजीकृत आईएमई (शुरुआत से दिनांक 29.03.2026 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,702
2	आंध्र प्रदेश	19,22,042
3	अरुणाचल प्रदेश	19,073
4	असम	4,61,862
5	बिहार	23,25,313
6	चंडीगढ़	19,463
7	छत्तीसगढ़	6,44,853
8	दिल्ली	4,27,291
9	गोवा	41,085
10	गुजरात	14,10,077
11	हरियाणा	6,39,189
12	हिमाचल प्रदेश	78,349
13	जम्मू और कश्मीर	2,44,450
14	झारखंड	7,82,231
15	कर्नाटक	24,81,922
16	केरल	7,72,648
17	लद्दाख	5,634
18	लक्षद्वीप	910
19	मध्य प्रदेश	25,05,704
20	महाराष्ट्र	29,69,102
21	मणिपुर	52,448
22	मेघालय	18,391
23	मिजोरम	17,025
24	नागालैंड	27,041
25	ओडिशा	10,83,722
26	पुडुचेरी	46,384
27	पंजाब	5,48,959
28	राजस्थान	13,71,098
29	सिक्किम	15,012
30	तमिलनाडु	21,97,117
31	तेलंगाना	20,29,210
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7,493
33	त्रिपुरा	1,97,084
34	उत्तराखंड	2,10,882
35	उत्तर प्रदेश	38,20,715
36	पश्चिम बंगाल	32,28,487

स्रोत: उद्यम असिस्ट पोर्टल, सिडबी